

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

22-4-21

~~पत्रावली पेश हुई है।~~
~~अपेक्षित है। अतः अधिभाषण उपखण्ड अधिकारी~~
~~राज्य कार्यवाही बॉयलर में तशरीफ रखते हैं।~~
~~अन्य कार्य में व्यस्त है। अधिभावण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली सादिक~~
~~कार्यवाही हेतु दिनांक 22-7-21 को~~
~~पेश होंगे।~~

क्र. 14

1-7-2021

1-7-21

पत्रावली पेश हुई तामील कमी उपस्थित
प्राथमिक बयान रिपोर्ट के मुताबिक
अन्तिम डिक्री जारी की गयी पत्रावली
पर शेष कार्यवाही नहीं होने से फैसल
सुमार होकर बाद तामील कार्रवाई
होगी

(पुनी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी



उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

फावा सं. 90/फावा/15

पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाया
KAS

फायरा फिनांक 10.11.15

उनवान

1. स्वप्ननारायण आयु 52 वर्ष आलज श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास 69, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाड़ी कोय जिला कोय (राजस्थान)
2. अनवान आयु 48 वर्ष आलज श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन हाल निवास 69, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाड़ी, कोय जिला कोय (राजस्थान)
3. रामचरण आयु 32 वर्ष आलज श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन हाल निवास 69, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाड़ी कोय जिला कोय-राजस्थान
4. जगन्नाथी वार्ड आयु 49 वर्ष पति श्री बद्रीलाल पुत्री श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति गीणा निवासी अखाना तहसील के पावन
5. लक्खुवार्ड आयु 76 वर्ष पति श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन हाल निवास 69, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाड़ी कोय जिला कोय

चाडीगण

बनाम

1. प्रहवीर आयु 45 वर्ष आलज श्री कस्तुरा जी जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन
2. पवन आयु 10 वर्ष नाबालिग जयें संरक्षिका माता संतरावार्ड पति श्री हनुमान जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान
3. मुस्कान आयु 7 वर्ष नाबालिग जयें संरक्षिका माता संतरावार्ड पति श्री हनुमान जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान
4. संतरा वार्ड आयु 40 वर्ष पति श्री हनुमान जाति गीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कुम्हार.....

- कान्ती बाई आयु 48 वर्ष पति श्री प्रबुलल पुत्री श्री कस्तुरा जी जाति मीणा
निवासी गण वाझडली तहसील कै. पायन जिला बून्दी राजस्थान
6. विमला बाई 38 वर्ष पति श्री सोहनलाल पुत्री श्री कस्तुरा जी जाति मीणा
निवासी डिगोनिया तहसील कै. पायन जिला बून्दी राजस्थान
7. छोरी बाई आयु 74 वर्ष पति श्री कस्तुरा जी जाति मीणा निवासी गण धरावन
तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी राजस्थान
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलपर साहब, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी राज.

-प्रतिवादीगण

वाप अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एच.

निर्णय

दिनांक - 23.11.17

वादी ने वाप अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एच. प्रस्तुत कर वाप
पत्र में कथन किया कि कृषि भूमि खाता सं. पुराने 87 गये 99 खसरा सं. 53
खसरा सं. 0.07 है, खसरा सं. 147 खसरा सं. 0.08 है, खसरा सं. 148 खसरा सं. 0.01 है
खसरा सं. 149 खसरा सं. 0.01 है, खसरा सं. 152 खसरा सं. 0.16 है, खसरा सं. 187
खसरा सं. 0.01 है, खसरा सं. 255 खसरा सं. 1.43 है, खसरा सं. 280 खसरा सं. 0.04 है
खसरा सं. 365 खसरा सं. 1.38 है, खसरा सं. 366 खसरा सं. 1.05 है कुल कित 10 कुल
खसरा 4.24 है. कृषि भूमि वाके गण धरावन पटवार क्षेत्र धरावन राजस्व भू-अभिलेख
निरीक्षक क्षेत्र बाट का वराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जमाबंदी
संवत् 2068 - 2071 वाप पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण व प्रतिवादीगण देवीशान के
पुत्र कस्तुरा व जमनालाल उर्फ झमला के उत्तराधिकारी हैं। वादीगण का वाप वर्णित कृषि भूमि
में 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण 1 लगा. 7 का वाप वर्णित भूमि 1/2 हिस्सा निहित है।
शापदाती खाते में होने की वजह से वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच उक्त भूमि का लगान
और पिलई आदि जमा करवाने में काफ़ी दिक्कत आती है। दिनांक 15.03.2015 को प्रतिवादी
गण सं. 1 लगायत 7 से वाप वर्णित आराजी का विधिवत बंधारा करवाने हेतु कक्ष तौ प्रति-
वादीगण ने न्यायालय से करवाने हेतु मना कर दिया तथा वादीगण की कृप व कलेशुषुप
भूमि पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। तब से लगातार वादकारण उत्पन्न हो रहा है।
वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाप वर्णित आराजी का विधिवत बंधारा पर अपना
हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवा ले। अंत में उार्थना कि कि वाप वर्णित
आराजी का 1/2 भाग विधिवत बंधारा किया जाकर ट्रॉके पर कब्जे के अनुरूप वादीगण
का नाम पृथक से अंकित करने का आदेश प्रतिवादी सं. 8 को दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

संख्या...

वाप पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जयें समन तलब किया गया। बाप तालील प्रतिवादी 4 लगा 8 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अदालत में लायी गयी।

वादीगण ने अपने वाप पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 जमाद धरावन जो पदरशि 1 है, खसरा गियावरी सम्वत् 2070 पैश की जो पदरशि-2 है नकशा इस पदरशि 3 है, जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2047 पैश की जो पदरशि 4 है। वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया व गवाह आला रात व काशीरात के शपथ पत्र पेश किये।


हजारों ठारा विधान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने वाप पत्र में वर्णित तथ्यों को दौख्यते हुए तर्क दिया कि वाप विषयक कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। शवात शापलाती होने से वादीगण को लगान-पिलारि आदि जमा कराने में कठिनाई आती है। अधिवक्ता ने शह भी फयन किया कि प्रतिवादी 4 लगा 7 वाप वर्णित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की धपकी देते आ रहे हैं। अतः वादीगण का वाप डिक्ली परमाया जाकर प्रतिवादी 4 लगा 7 व वादीगण का शापलाती शवात का नियमानुसार विधिवत बंध्वारा किया जाकर कब्जे के अनु-रूप वादीगण का जमा पृथक से अंकित करने का आदेश प्रतिवादी सं. 8 को दिया जाते

हउने विधान अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्र-वली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया एवं जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी वादीगण का हिस्सा 1/2 वर्ग सहरवातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर विधिवत बंध्वारा किया जाना उचित समझते हैं। अतः वादीगण का वाप पत्र स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्ली किया जाता है। तदस्वीलपर ऊद्देश्य को निर्देय दिये जाते हैं कि शवात सं. नयी 99 पुराने 87 के खसरा सं. 53 रकबा 0.07 है. खसरा सं. 147 रकबा 0.08 है. खसरा सं. 148 रकबा 0.01 है खसरा सं. 149 रकबा 0.01 है खसरा सं. 152 रकबा 0.16 है खसरा सं. 187 रकबा 0.01 है खसरा सं. 255 रकबा 1.43 है खसरा सं. 280 रकबा 0.04 है खसरा सं. 365 रकबा 1.38 है. खसरा सं. 366 रकबा 1.05 है कुल कित 10 कुल रकबा 4.24 है. वकी गान्ध धरावन पटवार क्षेत्र धरावन न. अ. नि. क्षेत्र धार का बराना तदस्वील इन्दाद

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं राजस्व मण्डल
 राजस्थान विभाजन नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए वदीगण
 व प्रतिवदीगण की उपस्थिति में तहसीलदार, उन्नाव, स्वयं भौक पर जाकर
 रास्ते का निर्धारण करते हुए वदीगण व प्रतिवदीगण के हिस्से को मलग
 -अलग रंग दर्शाते हुए बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट नियत दिनांक 27.12.17
 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। बंटवारा फीश्नर जीस 2000/- रुपये निर्धारित
 की जाती हैं जो वक बंटवारा वदीगण द्वारा भदा की जाएगी एवं बैंक खन खाता
 बन्द कर रहेगा।

निर्णय लिखामा जाकर आज दिनांक 23.11.17 को सरे सजलास सुनाया
 गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्दादाई

100 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल
स्टाम्प सलन

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी
व इजलास श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.)
1 सत्यनारायण आ0 जमनालाल उर्फ झमला जाति बनाम 1 महावीर आ0 कस्तूरा जाति मीणा निवासी
मीणा निवासी धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह
(वादीगण) (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53 आर0 टी0 एक्ट एक्ट

मुकदमा नम्बर 40 / दावा / 2015 सन 2017
..... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमरे व हाजिरी

..... श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रुबरु पैरोकार सरकार
..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि
वादीगण का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाता है बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ़ के मुताबिक
ग्राम धरावन की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 खाता संख्या नई 99 पुरानी 87 में वर्णित आराजी खसरा नं.
147 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 152/1 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 255/1 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0
280/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 365/1 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 366/1 रकबा 0.53 है0, कुल
किता 6 कुल योग रकबा 2.07 हैक्टैयर कृषि भूमि मुताबिक नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार वाके ग्राम धरावन
में तहसील इन्द्रगढ़ वादीगण के हिस्से में रहेगी। तथा खसरा नं0 152 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 255
रकबा 0.72 है0, खसरा नं0 280 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 365 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 366 रकबा 0.
53 है0 कुल किता 5 कुल योग रकबा 2.08 है0 मे से प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6, 7 के हिस्से में 4/10
प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के हिस्से में 1/10 रहेगी एवं खसरा नं0 53, रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 148
रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 149 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 187 रकबा 0.01 है0 किता 4 रकबा 0.10
हैक्टैयर खाता शामिल मुताबिक जमाबन्दी यथावत रहेगा मुबलिग
..... बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
..... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह .. 07 ... सन ..
2021 को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर	ओहदा	दस्तावेज
1. मुहर अदालत		1. मुहर अदालत
2. मुहर इजलास		2. मुहर इजलास
3. मुहर जिला		3. मुहर जिला
4. मुहर तहसील		4. मुहर तहसील
5. मुहर गांव		5. मुहर गांव
6. मुहर काला		6. मुहर काला
7. मुहर काला		7. मुहर काला
8. मुहर काला		8. मुहर काला
9. मुहर काला		9. मुहर काला
10. मुहर काला		10. मुहर काला

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2 भगवान आयु 48 वर्ष आ0 जमनालाल उर्फ झमला जाति मीणा निवासी ग्राम धरावन हाल निवासी 69,
अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान

3 रामचरण आयु 32 वर्ष आ0 जमनालाल उर्फ झमला जाति मीणा निवासी ग्राम धरावन हाल निवासी 69,
अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान

4 जगान्नाथी बाई आयु 49 वर्ष पत्नी बद्रीलाल पुत्री जमनालाल उर्फ झमला जाति मीणा निवासी अरड़ाना
तह0 के0 पाटन

5 लख्खू बाई आयु 76 वर्ष पत्नी श्री जमनालाल उर्फ झमला जाति निवासी ग्राम धरावन हाल निवासी 69
अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान

—वादीगण

बनाम

2 पवन आयु 10 वर्ष नाबालिग जयें संरक्षिका माता संतरा बाई पत्नी श्री हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम
धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

3 मुस्कान आयु 7 वर्ष नाबालिग जयें संरक्षिका माता संतरा बाई पत्नी श्री हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम
धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

4 संतरा बाई आयु 40 वर्ष पत्नी हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
राजस्थान

5 कान्ती बाई आयु 48 वर्ष पत्नी प्रभूलाल पुत्री कस्तुरा जाति मीणा निवासी ग्राम बाझड़ली तहसील
के0पाटन जिला बून्दी राजस्थान

6 विमला बाई 38 वर्ष पत्नी सोहनलाल पुत्री कस्तुरा जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील के0पाटन
जिला बून्दी राजस्थान

7 छोटी बाई आयु 74 वर्ष पत्नी कस्तुरा जाति मीणा निवासी ग्राम धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
राजस्थान

8 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी) जिला बून्दी